RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक २] गुरुवार, फेब्रुवारी ८, २०१८/माघ १९, शके १९३९ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २० जनवरी २०१८।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2018

AN ORDINANCE

TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १, सन् २०१८।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

२०१७ का महा. अध्या. क्र. २८।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे "उक्त अध्यादेश" कहा गया है) २८ नवम्बर २०१७ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि ११ दिसम्बर २०१७ को राज्य विधान मंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि.स. विधेयक क्र. ६८, सन् २०१७), २१ दिसम्बर, २०१७ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था ; और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र २२ दिसम्बर, २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नही हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधान मंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २१ जनवरी २०१८ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतदद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१८ कहलाए।

(२) यह २८ नवम्बर, २०१७ से, प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ३० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमे आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया हैं) की धारा ३० की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन २०१६ का महा. ६।

" परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, प्रबंध परिषद के प्रारंभिक पद के लिये खण्ड (च), (छ), (ज) और (झ) के अधीन, आरक्षित प्रवर्गों से उम्मीदवारों के निर्वाचन के लिये, चक्रानुक्रम का बिंदु, कुलपति द्वारा चिठ्ठी डालने से निश्चित किया जायेगा, चिठ्ठी डालने के दौरान, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, प्रत्येक आरक्षित प्रवर्ग से जुडे व्यक्ति को, प्रबंध परिषद पर प्रतिनिधित्व होगा।"।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ६२ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६२ की, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

" परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के प्रारंभिक पद के लिये निर्वाचन, नाम-निर्देशन और सह-योजन की प्रक्रिया, प्रारंभण के ऐसे दिनांक के तुरंत अनुवर्ति २८ फरवरी से पूर्व पूरी की जायेगी।" ।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा ९९क का निवेशन। छात्र परिषद के गठन के लिये अस्थायी उपबंध।

४. मूल अधिनियम की धारा ९९ के पश्चात्, निम्न धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

" **९९क.** धारा ९९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, छात्र परिषद के गठन के संबंध में, अकादमिक वर्ष २०१७-१८ के लिये, निम्न उपबंध, लागू होंगे :—

(१) छात्रों के कल्याण का ध्यान रखने के लिये और बेहतर निगमित जीवन के लिये विभिन्न छात्र सहयोजनों के पाठ्येतर क्रियाकलापों में सुधार करने और समन्वित करने के लिये, उप-धारा (४) में यथाविनिर्दिष्ट एक विश्वविद्यालय छात्र परिषद, विश्वविद्यालय के विभागों के लिये एक विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद और विश्वविद्यालय के प्रत्येक संचालित महाविद्यालय या संस्था और प्रत्येक सहबद्ध महाविद्यालय के लिये एक छात्र परिषद होगी। परिषद राजनीतिक क्रियाकलापों से जुडी नहीं होगी।

(२) (क) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(एक) कुलपति—अध्यक्ष ;

(दो) छात्र विकास निदेशक—अध्यक्ष ;

(तीन) क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक, यदि कोई हो ;

(चार) राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशक ;

(पाँच) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित प्रत्येक विश्वविद्यालय विभाग से एक छात्र, जिसने पूर्ववर्ति उपाधि परीक्षा में शैक्षणिक उत्कर्ष दिखाया हैं और विश्वविद्यालय, संस्था या विभाग या संचालित महाविद्यालय में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम से जुडा हैं ;

(छह) उप-कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो महिला छात्र, यदि कोई उप-कुलपति न हो, तब कुलपति दो महिला छात्रों को नामनिर्देशित करेगा।

(ख) प्रत्येक संस्था, संचालित महाविद्यालय या सहबद्ध महाविद्यालय की छात्र परिषद निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(एक) प्रधानाचार्य–अध्यक्ष ;

(दो) प्रधानाचार्य द्वारा नामनिर्देशित एक अध्यापक ;

(तीन) राष्ट्रीय छात्र सेना के प्रभारी शिक्षक ;

(चार) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी ;

(पाँच) प्रधानाचार्य द्वारा नामनिर्देशित प्रत्येक कक्षा से एक छात्र, जिसने पूर्ववर्ति वर्ष में हुई परीक्षा में शैक्षिक उत्कर्ष दिखाया हैं और महाविद्यालय में पूर्णकालिक अध्ययन से जुडा हैं ;

(छह) क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक, यदि कोई हो ;

(सात) प्रधानाचार्य द्वारा नामित, प्रत्येक निम्न क्रियाकलापों में से एक छात्र, जिसने बेहतर प्रदर्शन दिखाया हो, अर्थात् :–

(१) क्रीड़ा ;

(२) राष्ट्रीय सेवा योजना और प्रौढ शिक्षा ;

(३) राष्ट्रीय छात्र सेना ;

(४) सांस्कृतिक क्रियाकलाप ;

(आठ) प्रधानाचार्य द्वारा नामनिर्देशित दो महिला छात्र :

परंतु, प्रवर्ग (सात) और (आठ) से दो छात्र, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गो के होंगे।

(३) इन दोनों परिषदों के छात्र सदस्य, उनमें से, उनसे संबंधित परिषद का सचिव निर्वाचित करेंगे ।

(४) (क) इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक के पूर्व तुरंत विद्यमान परिनियमों द्वारा यथा विहित उप-धारा (३) के अधीन संबंधित परिषदों के सचिवों में से चयन के जरिए नामनिर्देशित पंद्रह सदस्यों से अनधिक सदस्यों से मिलकर विश्वविद्यालय छात्र परिषद बनेगी :

परंतु, प्रत्येक का कम-से-कम एक पद, निम्न से जुडे छात्रों के लिये आरक्षित होगा,—

(एक) अनुसूचित जाति ;

(दो) अनुसूचित जनजाति ;

(तीन) निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)** या खानाबदोश जनजाति ;

(चार) अन्य पिछडे वर्ग ; और

(पाँच) महिला छात्र के लिये एक पद,

शेष पद जिला-वार वितरित किये जायेंगे :

परंतु आगे यह कि, चयन के ज़रिए नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिये विवरण, शैक्षिक संपादन, राष्ट्रीय छात्र संघ, राष्ट्रीय सेवा योजना और प्रौढ़ शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप या इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व, तुरंत विद्यमान परिनियमों द्वारा विहित किये जाये ऐसे अन्य क्रियाकलापों में के सहभाग, पर आधारित होंगे ;

(ख) इस प्रकार विरचित विश्वविद्यालय छात्र परिषद, उसके अपने अध्यक्ष और सचिव का निर्वाचन करेगी ;

(ग) विश्वविद्यालय छात्र परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, कुलपति द्वारा की जायेगी और विहित किये जाये ऐसे अन्य अधिकारी उपस्थित होंगे ।

(५) छात्र किसी भी परिषद का सदस्य बनने या निरंतर बने रहने के लिए अर्ह, केवल तभी होगा, यदि वह पूर्णकालिक छात्र के रुप में प्रवेशित हो ।

(६) छात्र परिषद के छात्र सदस्यों का नामनिर्देशन, अकादमिक वर्ष २०१७-२०१८ के लिये प्रबंध मंडल परिषद द्वारा नियत किये गये दिनांक को किया जायेगा। नामनिर्देशित छात्र सदस्यों की पदावधि नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारंभ होगी और जब तक की वह, उसी बीच में, अधिनियम द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट को निरर्हता उपगत नहीं करते है तो, अकादमिक वर्ष के अंतिम दिनांक तक विस्तारित होगी ; और इसके पश्चात् अवसित होगी।

(७) परिषद के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति पूरी होंगी । बैठकों के कामकाज का संचालन करने और ऐसे अन्य मामलों के लिये नियम और प्रक्रियाएँ, जैसा कि विहित किया जाये ऐसी होंगी । परिषद, प्रत्येक तीन महीनों में कम-से-कम एक बार बैठक लेगी।"।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १०९ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १०९ की, उप-धारा (३) के खण्ड (घ) के पश्चात्, विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु आगे यह कि, इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, प्रथम अकादमिक वर्ष के लिये, नये महाविद्यालय खोलने की अनुमति के लिये आवेदन निश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय को सुकर करने की दृष्टि से, इस तालिका के स्तंभ (२) में, यथाविनिर्दिष्ट उप-धारा (३) के खण्ड (क), (ग) और (ख) के संबंध में निर्दिष्ट दिनांक, उक्त तालिका के स्तंभ (३) में यथाविनिर्दिष्ट पढे जायेंगे :—

तालिका

खण्ड	दिनांक के लिये (विद्यमान उपबंध)	अकादमिक वर्ष २०१७-१८ के लिये दिनांक
(१)	(२)	(३)
(क)	वर्ष के सितम्बर का अंतिम दिन।	१५ दिसम्बर, २०१७।
(ग)	वर्ष के ३० नवम्बर से पूर्व।	१५ जनवरी, २०१८ से पूर्व।
(घ)	तुरंत अनुवर्ति वर्ष के ३१ जनवरी से पूर्व।	२८ फरवरी, २०१८ से पूर्व।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १४६ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १४६ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (१) विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, यथासंभव शिघ्र, किंतु २८ फरवरी २०१८ के बाद नहीं, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, पुनर्गठित होगा। प्रत्येक ऐसा प्राधिकरण, कुलपति, समय-समय से, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके ऐसे दिनांक से पुनर्गठित किया गया समझा जायेगा।"।

सन २०१७ का महा. अध्या. क्र. २८।

७. (१) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, समपहृत किया जाता है ।

सन् २०१७ का महा. अध्या. कृ. २८ का समपहरण द्वारा निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे समपहरण के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा, यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गई कोई कार्यवाही (द्वारा किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) १ मार्च, २०१७ से प्रवृत्त हुआ है। ऐसे प्रारंभण के पश्चात्, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों को गठित करना आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक हैं कि, इस अधिनियम की धारा १०९ में यथाअंतर्विष्ट नये महाविद्यालय खोलने की अनुमति, प्रभावी की जा रही हैं। तथापि, राज्य सरकार के ध्यान में आया था कि, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में प्रारंभिक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है, परिणामस्वरुप, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन में विलंब हो रहा हैं। इसलिये, उक्त अधिनियम में तत्काल संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

२. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्ननुसार हैं :—

(एक) **धारा ३० में संशोधन.**——सभी प्रवर्गों से जुडे व्यक्तियों को, प्रबंध मंडल परिषद पर सम्यक् प्रतिनिधित्व देने की सुनिश्चिति करने के लिये, उक्त धारा ३० के खण्ड (च), (छ), (ज) और (झ) के अधीन, निर्वाचित सदस्यों के संबंध में चिठ्ठी डालने द्वारा आरक्षण के प्रारंभिक बिंदु को निश्चित करने के लिये, कुलपति को सशक्त करना, प्रस्तावित हैं।

(दो) **धारा ६२ में संशोधन.**——प्रारंभिक सत्र के लिये विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों के सदस्यों के निर्वाचन, नामनिर्देशन और सहयोजन की प्रक्रिया पूरी करने के लिये, विश्वविद्यालय को समर्थ करने के क्रम में, ३० नवंबर से २८ फरवरी २०१८ तक निर्वाचन, नामनिर्देशन और सह-योजन की प्रक्रिया पूरी करने के लिये अंतिम दिनांक अस्थायी रुप से विस्तारित करना, प्रस्तावित हैं।

(तीन) **नयी धारा ९९क की निविष्टि.**——छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुनिश्चिति करने के लिये, एक नयी धारा ९९क निविष्ट करना प्रस्तावित हैं, उससे अकादमिक वर्ष २०१७-२०१८ के लिये छात्र परिषद के गठन के लिये उपबंध बनाये जाये।

(चार) **धारा १०९ मे संशोधन.**——विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य योजना के बिंदु पर महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा तथा विकास आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें प्रवृत्त की जा रहीं हैं की सुनिश्चिति करने के लिये, अकादमिक वर्ष २०१८-२०१९ के लिये नये महाविद्यालय खोलने की अनुमति मंजूरी करने के लिये समय सीमा संशोधित की जा रही है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) में सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, २८ नवंबर, २०१७ को महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २०१७, (सन् २०१७ का महा. अध्या. कृ.२८) प्रख्यापित किया गया था।

४. तत्पश्चात् ११ दिसंबर, २०१७ को राज्य विधान मंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि.स. विधेयक क्र. ६८, सन् २०१७) २१ दिसंबर, २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र २२ दिसंबर, २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था।

५. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधान मंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २१ जनवरी, २०१७ को प्रवृत होने से परिविरत होगा। इसलिये, उक्त अध्यादेश के उपबंधों को जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना इष्टकर समझा गया है।

६. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २८, सन् २०१७ के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १९ जनवरी, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मीता राजीव लोचन,
शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.